ENQUIRY *RE* CALLING ATTENTION NOTICE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, हमने आज एक ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस सम्बन्ध मे जब मै लखनऊ से आया तो 9 बजे मैंने रेल मत्री श्री घोप जी और घर मत्री श्री वाई० बी० चव्हाण साहव से भी बात कर ली थी, उनको सूचित कर दिया था कि ऐसी घटना घटी, ताकि वे यह न कहे कि उनको कोई जानकारी नही थी। दो घटे का पूरा समय था। पहले मै कालिग अटेशन नोटिस ही पढ़ देता हू। कल 6-12-67 को लखनऊ दिल्ली मेल से जब मै आ रहा था तो चार बार रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के जवानो ने विद्यार्थियो पर बुरी तरह लाठी चार्ज किया और बहुत से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। मै डिब्बे के बाहर से जो दरोगा छात्र को पीट रहा था, उनको मना कर रहा था कि इनको क्यो पीट रहे हो, इनका क्या कसूर है। तो रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे प्लेटफार्म पर जिस ढंग से निरकुश, बर्बर लाठीचार्ज छात्रो पर हुआ, मै उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हू।

माननीया, मै आपको यह स्पष्ट करना चाहता हू और आपके द्वारा सदन को कि मै 9 बज कर 20 मिनट पर रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचा . . .

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Madam, under what particular rule is my hon. friend moving this particular motion?

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is not moving any motion.

DIWAN CHAMAN LALL : What is he making, a speech?

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Chairman has allowed him to mention this just now at 2.30. Since the Chairman has agreed that he should mention it, I am allowing him.

DIWAN CHAMAN LALL : All that I am asking is, if the Chairman has allowed Mr. Rajnarain, under what particular rule has he allowed it?

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Chairman has allowed him. Let him say.

श्री राजनारायण : दिवान चमन लाल जी है तो कुछ पुराने लेकिन नये की तरह काम कर रहे है। हा तो, माननीया, मेरा निवेदन यह था कि 9 बज कर 20 मिनट पर मै जब पहुचा तो वहा पर विद्यार्थी थे, हो सकता है कि 400 या 500 रहे हों या ज्यादा रहे हो, मगर तीन आवाजे हमने सुनी, 'अग्रेजी मे काम नही होगा, फिर से मुल्क गुलाम नही होगा' 'छात्र किसान और मजदूर कर देंगे अंग्रेजी चूर', 'अंग्रेज यहां से चले गये, अंग्रेजी हमे हटानी है'। इन तीनो नारों मे एक भी ऐसा नारा नही था जो असवैधानिक हो, यह सही है कि जब मै पहुचा तो कुछ लोगो ने हमारा भी नाम ले कर जिन्दाबाद का नारा लगाया। मै ट्रेन पर चढ गया और मै ताज्जुब से देखता हू, दरवाजे पर खड़े हो कर कि रेलवे पुलिस के जवान मोटी मोटी लाठी ले कर के लगे लड़कों पर बरसाने, एक बालक को पकड लिया और मै दरवाजे पर खडा कह रहा था, उस दरोगा से जो कि लडके को पीट रहा था कि इसको मत मारो, मत मारो। उसको दो डडा मारा, पहला मारा तो मैंने रोका दरवाजे के बाहर खडे-खडे लेकिन जब दूसरा मारा तो मै दरवाजे से नीचे कूद कर आ गया, तो उसको खीच कर बाहर ले जाया गया, कहा ले गये पता नही। मैंने कहा कि जब तक वह लडका नही आयेगा तब तक ऐसा लगता है कि यहा के अधिकारी चाहते ह कि ट्रेन को आगे नहीं बढने दिया जाय। यह सही है, फिर हमने लोगों से कहा कि ट्रेन बढने नही पाये जब तक गैरकानूनी ढग से बर्बरता के साथ विद्यार्थियों पर जो लाठी चली है उस सम्बध में अधिकारियों की कोई सफाई न आ जाय।

[श्री राजनारायण]

तो, माननीया, मैं आपके जरिये सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। बडा अच्छा हुआ कि नेता सदन मे आ गये है, वह विद्यार्थियो, मजदूरो के सम्बन्ध मे हमदर्दी रखत है, उनकी समस्या को भी कुछ जानते है, समझते है। मै पूछना चाहता हू कि मान लीजियेगा कोई मुझे रेल पर चढाने आये और रेल पर चढाने वालो की कुछ सौ पचास या बीस की भीड हो तो उन पर डडा चलाने का हक सरकार को कैसे है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने उन पर डडा कैसे चलाया, क्यो चलाया? यह सवाल आज केवल भाषा से ही सम्बन्धित नही है, यह सवाल जहा अग्रेजी को हटाने का है, वहा ही अपने नागरिक अधिकारो और मानवीय अधिकारो की सुरक्षा का भी है, साथ-साथ दोनो एक दूसरे से सने हुये है। तो मै बहुत ही अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहूगा कि सरकार इसके सम्बन्ध मे पूरी इक्वायरी कराये, पूरी जाच पडताल कराये और इस सदन मे एक व्यापक बयान दे, चाहिये कि अभी दे, हमारे नेता सदन को मालूम होगा, हमने रेल मत्री और घर मत्री को पहले खबर कर दी थी कि उन्हे आज सदन मे रहना चाहिये। आज जब कि सारा देश एक क्षोभ की ज्वाला मे जल रहा है इस भाषा के सवाल को ले कर तो अनावश्यक ढग पर यह रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स छात्रो पर डड लाठी चला कर उत्तेजना पैदा करे? मै नही चाहता कि इस ढग से उत्तेजना पैदा कराई जाय।

माननीया, इसी तरह से अभी-अभी आपके सामने बैठा था कि पता चला कि यहा पर दिल्ली के विद्यार्थियो पर डडा चल गया, कही आग लग गई, तो जानबूझकर यह सरकार आज इस देश को अग्नि की ज्वाला मे झोक रही है। सरकार को चाहिये कि सीधे-सीधे एलान कर दे। हमको अभी अभी काग्रेस पक्ष के एक सम्माननीय व्यक्ति ने बताया कि चव्हाण साहब शायद यह मान रहे है कि विधेयक मे जहा लिखा है कि हिन्दी का जानना जरूरी नही है वहा यह भी बढा देगे कि अग्रेजी का जानना जरूरी नही है। यह मै मानता हू कि एक इम्प्रूवमेट है, एक विकास है। उसी के साथ-साथ शायद उन्होने यह भी माना अब अग्रेजी का ट्रासलेशन हिन्दी सूबो को तैयार करना जरूरी नही होगा। तो उसमे अगर समुचित और सम्यक जनमत की अपेक्षा न कर के उसकी भावना की कद्र करते हुये, सरकार कोई सशोधन को मानती हो तो मै चाहता हू कि सरकार को फौरन कोई डिक्लेरेशन कर देना चाहिये ताकि सारे देश मे जो आग लगी है उस आग का लगना आगे न बढे। तो, माननीया, मै अदब के साथ आपके जरिये सरकार से और इस सदन के माननीय सदस्यो से निवेदन करना चाहता हू कि आज भारत का छात्र, भारत का नवयुवक जागा है, वह अग्रेजी भाषा के विरुद्ध जागा है, जैसे अग्रजो को हटाया गया, अग्रेजी को भी हटाया जायगा, इसमे दो राय नही है और अगर सरकार उचित कदम नही उठाती, तात्कालिक कदम नही उठाती तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य दूसरे सूबो मे ...

उपसभापति : राजनारायण जी, अब बस कीजिये।

श्री राजनारायण : माननीया, 1 मिनट और लूगा। दस मिनिट मैने मागे थे। हमारी नजर बराबर घडी पर है। मै आपके द्वारा श्री हाथी जी को केवल यह साफ कहना चाहता हू कि मै अग्रजी को पूरा ..

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुख लाल हाथी) : मै जानता हू। मै जानता हू आप क्या चाहते है।

श्री राजनारायण : नहीं ।

श्री जयसुख लाल हाथी : जो दो बाते आपने कही है वह आप मुझ को कहिये ।

श्री राजनारायण : मै अग्रेजी को कलक समझता हू, कूडा समझता हू, करकट समझता हू, गदगी समझता हू । जब तक इस गदगी को हम दूर नही करेगे तब तक भारत के स्वास्थ्य की सुरक्षा नही होगी । जो सामान, जो साइन बोर्ड या जो खम्भा, या जो इजन अग्रेजी को प्रसारित य। प्रचारित करेगा उस सामग्री से अग्रेजी को हटाने के लिये अगर उस सामग्री का भी नुकसान हो जाये तो उसको मै अहिसा समझता हू, उसक। मै राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति नही मानता क्योकि मैला, पाखाना, कूडा-करकट को निचोडने, घसीटने मे अगर कोई सामान, जो इसको चिपटाये हुए है, वह भी, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह स्वाभाविक है । इन शब्दो के साथ मै सरकार की भावना को जगाना चाहता हू ।

श्री एम० एम० धारिया (महाराष्ट्र) : राजनारायण जी ने जो कालिग अटेन्शन नोटिस दिया है उसको मैंने पढा नही मगर इन्होने जो माग की है इस के सिवाय ऐसा भी आज अखबारो मे आया है कि राजनारायण जी जब लखनउ मे थे तब उन्होंने एक घटा ट्रेन को लेट रखा और इडियन एयरलाइन्स की जो बस थी उसको जबर्दस्ती अपने पार्टी आफिस ले गये जब कि उसमे और पैसेन्जर्स बैठे हुए थे । उसके बाद इन्होने ड्राइवर को एक रुपया टिप भी दिया है । यह सब अखबारो मे आया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You cannot take the time of the House. You are saying what has come in the Press

श्री एम० एम० धारिया : तो इनका जो कालिग अटेन्शन है उस पर जब कोई स्टेटमेंट आयेगा, उसके मजूर होने के बाद, तो मत्री जी उसमे इन सब बातो के बारे मे भी बताये कि क्या वह सही है ।

श्री राजनारायण : माननीया, देखिये, पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN . Please take your seat.

श्री राजनारायण : या तो आप धारिया साहब को न कहे ।

(*Interruptions*)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : माननीया, मैंने भी तीन चार दिन पहले इसके ऊपर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका आज तक हमको कोई जवाब नही मिला ।

उपसभापति : वह तो अभी चेयरमैन साहब देखेगे । I want to earnestly appeal to the House. Let us go to the regular business. Because the Chairman had permitted Mr. Rajnarain to mention this case at 2 30, I permitted him. And Mr Rajnarain was good enough to say that he would not take very long Well that is over Mr. Dharia, you have said something that has appeared in the Press. Mrs. Vidyawati Chaturvedi, your Calling Attention Notice is with the Secretariat; they are looking into it.

श्री राजनारायण : माननीया हमारा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है । जितना प्रेस मे निकला है उतना ही उन्होने नही कहा है, हमारे ऊपर आक्षेप किया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no. All right Say only in one minute

श्री राजनारायण : हा, एक मिनट मे कह दूगा । धारिया साहब ने जो कुछ भी कहा है गलत है, निराधार है और जिस प्रेस ने इसको छापा है वह प्रेस पूजीपतियो का दलाल होगा । मै कहना चाहता हू कि रेल को हमने रोका है, ट्रेन को रोका है, यह सही है और ट्रेन को हम आगे भी रोकेगे, अगर ऐसी घटना होगी । और जहा तक हवाई जहाज के मोटर की बात

[श्री राजनारायण]

है, वह बिलकुल गलत और झूठ है। यह सही है एक रुपया हमने ड्राइवर को दिया।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Madam, ... (*Interruptions*)

श्री राजनारायण : क्या यह मैडम-मैडम करते हो। बैठ जाओ। मैडम-मैडम करते-करते सदन का समय नष्ट करते हैं।

THE COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RECONSTRUCTION) BILL, 1967

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : Madam Deputy Chairman, I beg to move :

> "That the Bill to provide in the public interest for the liquidation of cotton textile companies while keeping the undertakings thereof as running concerns, or for the reconstruction of cotton textile companies in certain cases and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Hon. Members would recall that the Commerce Minister had on several occasions, in reply to questions and otherwise, stated in the House that he would bring forward a Bill to enable Government to take over certain weak and marginal textile mills which are considered economically viable, but which for certain reasons have been either closed or are under imminent threat of closure. He had expected to be in a position to introduce the Bill in the last session of Parliament but the finalisation of the Bill has taken longer than was initially anticipated.

As hon. Members are aware, the cotton textile industry is a very old one. In fact, it is amongst the oldest and largest organised industries in the country, dating back to more than a century. Today it consists of over 600 mills spread all over the country. It employs directly about 9,00,000 workers and indirectly about six million in the handloom and powerloom sectors to which it supplies the yarn. It is also the principal purchaser of cotton, on which a large number of farmers depend for their livelihood. Cotton textiles have been and still are a large earner of foreign exchange.

Naturally, the problems affecting such a big and widely dispersed industry are many and complex. Moreover, speaking generally, it is considered to be a relatively low profit industry. In many cases, therefore, the entrepreneur has a tendency to withdraw funds from the cotton textile unit for reinvestment on more lucrative terms, in other enterprises. Quite a few of them are also badly sited with reference to availability of cotton, power, labour and markets. All these have reduced the productive efficiency and competitive ability for a substantial number of these mills. While these are profitable in years when cotton is plentiful and cheap and the consumer demand is strong, their profits disappear as cotton prices rise, as during the last two years, and the general purchasing power of the consuming public goes down. I might add that even in other major producing countries like Great Britain and Japan, their well-established cotton textile industries have also suffered vicissitudes of fortune. The British Government have had recently to come massively to the aid of their own textile industry for purposes of its rehabilitation; the Japanese Government is also following a somewhat similar course.

Coming back to our own immediate problem, out of the 600 odd units that we have, some 350 had been established prior to Independence and among the rest, even though these came up later, a fair proportion are actually operating with old and second-hand plant and machinery. These are the mills which have suffered most during the last two or three years. Their financial resources are heavily depleted and many of them are, in consequence, finding it progressively more difficult to continue. Apart from these mills which face a crisis on account of financial difficulties, there are some others which have come to grief on account of sheer bad or inefficient management. The result of all this is that in any given months some 25 to 30 mills remain closed for various reasons, resulting in loss of production and loss of employment to some thousands of workers. This situation needs to be remedied to the extent practicable and within the resources available, in the interests of the consumer, labour and the shareholder.